

UPGK010020972026



न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या-922/2026

वीरू राम उर्फ वीरू डोम उम्र- 30 वर्ष पुत्र रामायण डोम निवासी- अम्बेडकर नगर  
डोमखाना, थाना- तिवारीपुर, जिला- गोरखपुर।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु0अ0सं0- 82/2026

अंतर्गत धारा- 309(6), 3(5) भा०न्या०सं०

थाना- गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर।

1. आवेदक/अभियुक्त वीरू राम उर्फ वीरू डोम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 922/2026 मु0अ0सं0-82/2026 अंतर्गत धारा- 309(6), 3(5) भा०न्या०सं०, थाना- गोरखनाथ, जनपद-गोरखपुर प्रस्तुत किया गया है जो जिला कारागार गोरखपुर में निरुद्ध है।

2. जमानत हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा कमलेश निषाद की मां दिनांक 22.02.2026 को समय करीब 11.30 से 12.30 के बीच में मेरी मां आरती देवी टेम्पू से घर जा रही थी कि V मार्ट के सामने दो लड़के जो की पहले से टेम्पू में बैठे थे मेरी माँ की दोनों कान की बाली तथा मंगलसुत्र मुह दबाकर छिन लिए और मुक्का से मारते हुए उकर कर वहीं पर पहले से खड़े एक दो पहिया वाहन जो तीसरा लड़का लेकर खड़ा था जिस पर दोनों सवार होकर वहां से भागने लगे मां के शोर करने पर आस पास के लोगों द्वारा गाड़ी का न० 8422 बताया जा रहा है वहां पर CCTV कैमरे लगे हैं जिसमें दिख रहा है। कल मेरी मां डरी सहमी थी और घर चली आई।

3. दिनांक 22.02.2026 को उपनिरीक्षक रजत त्रिपाठी व उनके हमराहियान द्वारा सी०सी०टी०वी० फुटेज में प्रस्तुत मामले के अभियुक्तगण धरम कुमार पुत्र बिरजू

डोम, वीरू राम उर्फ वीरू डोम पुत्र रामायण राम व रविकुमार पुत्र राजेश कुमार की पहचान की गई। पुनः दिनांक 23.02.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर उपरोक्त पुलिसबल द्वारा अभियुक्त वीरू राम उर्फ वीरू डोम पुत्र रामायण डोम को सूरजकुण्ड ओवरब्रिज के पास घटना में प्रयुक्त वाहन संख्या यूपी 53 बीवी 8422 बजाज सीटी 100 के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में अभियुक्त वीरू राम उर्फ वीरू डोम की निशानदेही सह-अभियुक्त रवि कुमार पुत्र राजेश कुमार को गिरफ्तार किया गया व उनकी निशानदेही पर उक्त छिनैती के सामान एक अदद मंगलसूत्र (पीली धातु) व दो अदद कान की बाली (पीली धातु) जिन्हें वे लोग गायत्री ज्वैलर्स सूरजकुण्ड पर रू० 30,000/- में बेच चुके थे, की बरामदगी की गई।

4. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त बिल्कुल निर्दोष व बेकसूर है उसने कोई जुर्म नहीं किया है। पुलिस उसे घर से पकड़कर ले गई और फर्जी मुकदमे में उसे बन्द कर दिया। आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से लूट का कोई सामान बरामद नहीं हुआ है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 24.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। इन आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का कड़ा विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

6. मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। कथित घटना एवं फर्द बरामदगी/गिरफ्तारी अभियुक्त का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी होना नहीं बताया गया है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 24.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

8. आवेदक/अभियुक्त वीरू राम उर्फ वीरू डोम की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 922/2026 को मु0 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) के व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि का प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है-

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध-पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिन्न व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विवेचना के दौरान जब विवेचनाधिकारी बुलायेगा, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

दिनांक-12.03.2026

(राज कुमार सिंह)

सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-1889